

28.12.2022

वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सहायक वन संरक्षक, सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 8/15, 9/2015, 12/2015, 13/2015, 15/2015, 18/2015, 21/2015, 22/2015, 23/2015, 27/2015, 30/2015, 33/2015, 35/2015, 36/2015, 39/2015 व 42/2015 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल अपील के साथ नत्थी हो।


अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)

